फर्द अहकाम

ालय SDO II सांगानेर

इब्राहीम बनाम सुल्तान

ा संख्या /वर्ष 33/2021 : ______ /20 ______

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/8/24	2 बीघा 13 बिस्वा सम्बत 2031, 2032, 2033 वादीगण के नाम तिनमाह प्रतिवादी डिक्री करवाने प्रकरण मे सहायक जिलाधीश चाकसू कैम्प सांगानेर द्वारा प्रकरण सं. 113/88 मे दिनांक 19/8/1988 को निर्णय पारित किया गया उपखण्ड अधिकारी जयपुर के निर्णय दि0 18/4/78 को पारित किया गया अतिरिक्त उपजिलाधीश जयपुर के आदेश दि0 18/4/78 की निगरानी राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे की गई। राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दि0 25/6/87 द्वारा निगरानी खारीज होने से खारिज होने पर पत्रावली पुन: न्यायालय मे प्राप्त हुई। प्रकरण मे गुणदोष पर विचार करने से पूर्व, हमने यह देखा कि दावा पुराने खसरा नम्बर से है जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 45 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा से हाल प्रचलित भू-प्रबन्ध मे कौन से नवीन खसरा नम्बर बनाये है व वे खसरा नम्बर किसके नाम दर्ज है कि जानकारी के बिना विवादग्रस्त सम्पत्ति का विवरण अस्पष्ट रहता है अत: दावा संधारणीय नही रह जाता है नवीन भू-प्रबन्ध सन् 1989 से (लगभग 20 वर्ष पूर्व से) प्रचलित है इतनी दीर्घ अवधि तक वादी ने दावा प्रचलित अभिलेख अनुसार संशोधन करने एंव प्रचलित अभिलेख पेश करने का कोई प्रयास नही किया है इस निष्क्रियता को "दौरान दावा" हुए परिवर्तन मानकर दरगुजर नही किया जा सकता है क्योकि भू-प्रबन्ध संक्रियाऐ एक वैधानिक संक्रियाऐ है जो विधि अनुसार होती है इन पक्षकारो का कोई नियन्त्रण नही है यदि पक्षकार स्वेच्छा से दौराने दावा तथ्यो को परिवर्तित करे तो Lispendes का सिद्धान्त लागू हो सकता है परन्तु वैधानिक प्रक्रियो अन्तर्गत आये परिवर्तनो को दावा संशोधन के माध्यम से रिकार्ड पर लाना अनिवार्य है उसी प्रकार है जैसे दावा के दौरान पक्षकार की मृत्यु होने पर वारिसो को रिकार्ड पर लाना आवश्यक होता है इसमे चूक दावा के लिए घातक होती है अत: भू-प्रबन्ध संक्रियाओ से हुए परिवर्तनो को दावा संशोधन से रिकार्ड पर लाए बिना दावा संधारणीय नही रहता है अत: आदेश दिये जाते है कि वादी वाद लौटाया जावे। वादी नवीन प्रचलित भू-प्रबन्ध अनुसार दावा संशोधन कर पुन: नया दावा लाने को स्वतन्त्र है। सुनाया गया पत्रावली नाथी होकर होकर वाद दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर